

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 376 राँची, शुक्रवार, 6 अप्रैल, 2018 (ई॰)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 5 अप्रैल, 2018

संख्या-एल॰जी॰-05/2018-28/लेज॰-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 27 मार्च, 2018 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

अन्सूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश,2018 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या - 03, 2018)

विषय सूची

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1.
- परिभाषाएँ 2.
- अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग का गठन 3.
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यविध एवं सेवा की शर्तें
- आयोग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी 5.

झारखण्ड गजट (असाधारण) शुक्रवार, 6 अप्रैल, 2018

- 6. रिक्तियाँ आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना
- 7. आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया
- 8. आयोग का कृत्य
- 9. प्रतिवेदन का पुरस्थापन
- 10. आयोग की शक्तियाँ
- 11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान
- 12. लेखा एवं अंकेक्षण
- 13. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त कर्मचारीगण
- 14. नियमावली बनाने की शक्ति
- 15. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति
- 16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
- 17. निरसन या व्यवृत्ति

अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 2018

चूँकि, झारखण्ड राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है, और चूँकि झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिसके कारण अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश 2018 लाना आवश्यक हो गया है।

इसलिए, अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्यपपाल निम्नवत अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

अध्याय-ा

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ (1) यह अध्यादेश "अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश-2018" कहा जा सकेगा ।
- (2) यह राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
- (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- 2 परिभाषाएं

इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित हो,

- (क) "आयोग" से तात्पर्य है, धारा-3 के अधीन गठित "अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग"
- (ख) "सदस्य" से तात्पर्य है आयोग का सदस्य और इसमें सम्मिलित है आयोग का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ।
- (ग) "अनुसूचित जाति" का वही अर्थ होगा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-366 की उपधारा (24) में विहित है।

अध्याय-∐

झारखण्ड अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग

- 3. झारखण्ड अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग का गठन-
- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौपें गये कृत्यों के निष्पादन हेतु यथाशीघ्र एक निकाय गठित करेगी, जो झारखण्ड अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा, जिसका मुख्यालय राँची होगा ।
 - (2) आयोग के निम्नलिखित सदस्य होंगे, यथा:-
- (क) अध्यक्ष जो झारखण्ड के अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मामलों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।

- (ख) उपाध्यक्ष, जो झारखण्ड के अनुसूचित जातियों से संबंधित मामलों का विशिष्ट ज्ञान रखते हों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।
- (ग) 3 (तीन), वैसे व्यक्ति जिन्हें झारखण्ड अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान हो, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायेगा ।
 - 4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यावधि एवं सेवा की शर्ते-
- (1) राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनिधक अविध तक अपने पद पर बने रहेगें, जो राज्य सरकार द्वारा विहित होगा ।
- (2) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय स्वलिखित पत्र राज्य सरकार को प्रेषित कर अपने पद का त्याग कर सकता है।
- (3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को कार्यभार से हटा सकती है, यदि वह व्यक्ति,
 - (क) उन्मोचित दिवालिया हो गया हो, या
- (ख) किसी ऐसे अपराध, जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित दोषी करार दिया और कारावास की सजा सुनाई गई हो, या
 - (ग) जो विक्षिप्त हो जाता हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया जा च्का हो, या
 - (घ) जो कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है, या
- (इ.) जो आयोग से अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा है, या
- (च) जिसने राज्य की राय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की प्रतिष्ठा का उस रूप में दुरूपयोग किया हो कि उसका कार्यालय में बना रहना अन्सूचित जातियों के हित के लिए घातक हो,

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जायेगा जब तक उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो ।

- (4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई रिक्ति नये मनोनयन से भरी जायेगी।
- (5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि / एकमुश्त राशि, भत्ते एवं सेवा की अन्य बन्धेज एवं शर्तें वही होंगी, जो विहित की जाय ।
- 5. आयोग के पदाधिकारी, कर्मचारी, -
- (1) सरकार द्वारा मनोनीत कोई भी पदाधिकारी जो उप सचिव से नीचे स्तर का न हो, आयोग का पदेन सदस्य सचिव होगा।
- (2) राज्य सरकार आयोग के लिए उतने पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो आयोग के सम्यक् क्रिया कलाप के लिए आवश्यक हो,

- (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को भुगतेय नियत राशि / एकमुश्त राशि एवं भत्ते और आयोग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते, का भुगतान धारा-11 में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा।
- 6. रिक्तियाँ आदि का आयोग की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करना- आयोग का कोई कृत्य या कार्यवाही मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में सदस्य का कोई पद रिक्त है या आयोग का गठन त्रृटिपूर्ण है।
- 7. आयोग द्वारा विनियमित की जानेवाली प्रक्रिया-(1) आयोग की बैठक आवश्यकतानुसार सामान्यतया राँची में होगी या वैसे स्थान पर होगी जो अध्यक्ष उचित समझे ।
 - (2) आयोग को यह शक्ति होगी कि अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करे ।
- (3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य सचिव या सदस्य सचिव द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी दूसरे पदाधिकारी द्वारा सत्यापित किये जायेंगे।

अध्याय-III

आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ

- आयोग का कृत्य :- आयोग का कृत्य एवं शक्तियाँ निम्निलिखित होंगे,--
- (क) भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त विभिन्न रक्षोपायों या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा उपबन्धित सरकार के किसी आदेश द्वारा झारखण्ड राज्य झारखण्ड अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं संरक्षण के कार्यकलापों का अनुसंधान एवं परीक्षण, और,
- (ख) झारखण्ड राज्य के अनुस्चित जातियों के अधिकार एवं संरक्षण की वंचना से सबंधित शिकायतों की जाँच तथा मामलों को समुचित प्राधिकारी तक पहुँचाना,
- (ग) झारखण्ड में अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये योजनाओं के कार्यान्वयन में सलाह देना और राज्य में उनके विकास की गति का मूल्यांकन,
- (घ) संरक्षणों के प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसूचित जातियों के कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास एवं आयोग राज्य सरकार को वर्षानुवर्ष और वैसे समय में, जब आयोग उचित समझे, वैसे उपायों की अनुशंसा करना जो राज्य सरकार द्वारा किया जा सके,
- (ड.) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं प्रगति के संबंध में वैसे सभी कार्यों का सम्पादन, जो विहित हो,

परन्तु यदि इस धारा के अन्तर्गत कोई विषय भारत का संविधान की धारा-338 के अधीन स्थापित अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा निष्पादित हो रहा हो, अनुसूचित जाति राज्य आयोग का उस मामले में क्षेत्राधिकार समाप्त हो जायेगा ।

- (च) राज्य सरकार आयोग को वैसा निर्देश दे सकती है जो राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या उचित समझता हो और आयोग वैसे निर्देशों को मानने के लिए बाध्य होगी।
- 9. प्रतिवेदन का पुरस्थापन राज्य सरकार धारा-8 की उपधारा (घ) के अन्तर्गत उन प्रतिवेदनों के संबंध में राज्य विधानसभा में की गई कार्रवाई या कार्रवाई के प्रस्ताव और अनुशंसाओं को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में, यदि कोई हो तो कारणों की व्याख्या करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करेगा ।
- 10. आयोग की शक्तियाँ आयोग की धारा-8 के अन्तर्गत किसी मामले के जाँच के दौरान वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 की धारा 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसकी जाँच करना,
 - (ख) किसी अभिलेख की खोज और उसके प्रस्त्तीकरण की अपेक्षा करना,
 - (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,
 - (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,
 - (ड.) गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना, और
 - (च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

परन्तु उपधारा (क) के अधीन उस व्यक्ति को जो, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सिचव या विभागाध्यक्ष के रूप में राज्य सरकार के मामलों में नियोजित हो, को सम्मन नहीं किया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता परन्तु उसके द्वारा सम्मन का अनुपालन तब हुआ समझा जायेगा जब वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बदले उपधारा (क) के अधीन उपसचिव स्तर से अन्यून या जैसा भी हो उसके समतुल्य का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होना कारित करे।

परन्तु यह भी कि, उपधारा (क) के अधीन जारी सम्मन में जिस व्यक्ति को सम्मन किया जाय उसमें सम्मन के उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख हो और जब साक्ष्य प्रस्तुत करने के सिवा, किसी व्यक्ति को किसी अभिलेख को प्रस्तुत करने के लिये सम्मन किया जाय तब यदि वह व्यक्ति सशरीर उपस्थित होने के बदले यदि वैसा अभिलेख प्रस्तुत कराता है तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सम्मन अनुपालित समझा जायेगा।

अध्याय-IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

11. राज्य सरकार द्वारा अनुदान-

- (1) इस मामले में राज्य विधान सभा द्वारा अपेक्षित विनियोग के बाद आयोग को राज्य सरकार अनुदान के रूप में वैसी राशि का भुगतान करेगा जो राज्य सरकार उचित समझे और इस अधिनियम के उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सके।
- (2) आयोग अनुदान की राशि में से उतनी राशि खर्च कर सकेगा जो इस अधिनियम के कार्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझा जाय और ऐसी राशि उपधारा (1) के अधीन अनुदान में से खर्च के रूप में भगतेय होगा।
- 12. लेखा एवं अंकेक्षण-
- (1) आयोग आय एवं व्यय का लेखा उस नियम के तहत रखेगा जो इस निमित्त विहित किया जाय ।
- (2) आयोग उस रूप में लेखे का वार्षिक वितरण तैयार करेगा जो विहित किया जाय।
- (3) आयोग के लेखा को उस अंकेक्षक द्वारा वार्षिक रूप से अंकेक्षित किया जायेगा जिसे राज्य सरकार नियुक्त करे ।
- (4) अंकेक्षक, अंकेक्षण के उद्देश्य से आयोग के सभी लेखा एवं अन्य अभिलेख की मांग कर सकता है।
- (5) आयोग अंकेक्षण के लिए उतनी शुल्क की अदायगी अनुदान की राशि से करेगा जो विहित किया जाय ।
- (6) आयोग अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्राप्ति के तुरन्त बाद लेखे के वार्षिक विवरण की एक प्रति अंकेक्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ राज्य सरकार को भेजेगा और इसे लेखा के वार्षिक विवरण में उस रूप में प्रकाशित करेगा जो विहित किया जाय ।
 - (7) राज्य सरकार ऐसे प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विधान सभा में पुरःस्थापित करेगा ।
- (8) राज्य सरकार अंकेक्षक के प्रतिवदेन के अवलोकन के पश्चात् वैसा निदेश आयोग को देगा जो उचित समझे और आयोग वैसे निदेशों का अनुपालन करेगा ।

अध्याय-V

विविध

- 13. आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक माने जायेंगे- भारतीय दंड संहिता (केन्द्रीय अधिनियम, 1860 का 45) की धारा 21 के अनुसार आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं समस्त कर्मचारी लोक सेवक समझे जायेंगे।
- 14. नियमावली बनाने की शक्ति-
- (1) राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए बना सकेगी ।
- (2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शिक्तयों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी मामलों के संबंध में उपबंध कर सकेगी, यथा-
- (क) धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतेय वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य बंधेज एवं शर्तें ।
 - (ख) धारा-12 की उपधारा (2) के अंतर्गत लेखे का वार्षिक विवरण तैयार करने हेतु प्रपत्र ।
 - (ग) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विघानसभा के समक्ष रखा जायेगा, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में पड़ सकते हैं। जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय उस सत्र में या उसके बाद वाले सत्र में विधानसभा, नियम में जो रूपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद यह नियम यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बाधित होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 15. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति :- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अपने आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

परन्तु यह कि, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से दो वर्षों के उपरान्त ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के तुरंत बाद राज्य विधान-सभा के समक्ष रखा जायगा ।
- 16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव:- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

परन्तु, यह कि तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि या नियम इस अधिनियम के पूर्व बने, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या जारी किए गए अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हो, प्रभावी बने रहेगें तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

17. निरसन या व्यवृत्ति:--

- (1) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत ऐसे सभी अनुदेश / संकल्प / परिपत्र आदि जो इस अधिनियम से असंगत हो, इस हद तक निरसित समझे जायेंगे ।
- (2) इस अधिनियम के आरंभ के पूर्व किसी आदेश, संकल्प, परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कार्रवाई इस अधिनिमय के अधीन किया गया, की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के अधीन वे लागू थे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना 5 अप्रैल, 2018

संख्या-एल॰जी॰-05/2018-29/लेज॰-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश और राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2018 को अनुमत अनुसूचित जातियों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The State Commission for the Scheduled Castes Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No. 03, 2018)

INDEX

- 1. Short title and commencement
- 2. Definitions
- 3. Constitution of the Commission for the Scheduled Castes
- 4. Term of Office and Conditions of service of the Chairman, Vice Chairman and Members
- 5. Staff of the Commission
- 6. Vacancies etc., not to invalidate proceedings of the Commission
- 7. Procedure to be regulated by the Commission
- 8. Functions of the Commission
- 9. Laying of Report
- 10. Powers of Commission
- 11. Grants by the State Government
- 12. Accounts and Audit
- 13. Chairman, Vice Chairman, Members and employees of the Commission
- 14. Power to make rules
- 15. Power to remove difficulties
- 16. Overriding effect of the Act
- 17. Repeal and Savings

The state commission for the scheduled castes ordinance, 2018

Since the Legislative Asssembly of State of Jharkhand State is not in Session and, since the Governor of Jharkhand is satisfied that such circumstances exist, which render it necessary to take immediate action to bring the state commission for the scheduled castes ordinance, 2018.

Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER-I PRELIMINARY

- **1. Short title and commencement.-**(I) This Ordinance may be called the State Commission for Scheduled Castes Ordinance, 2018.
- (II) It shall come into force with effect from the date of its publication in Official Gazattee.
 - (III) It extends to the State of Jharkhand only.
 - **2. Definitions.-** In this Act, unless, the context otherwise requires,-
- (a) "Commission" means "The State Commission for the Scheduled Castes " constituted under section 3;
- (b) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman and the Vice Chairman of the Commission;
- (c) "Scheduled Castes" shall have the meaning assigned in clause (24) of Article 366 of the Constitution of India;

CHAPTER-II

State Commission for the Scheduled Castes

- **3. Constitution of the Commission for the Scheduled Castes.-** (1) The State Government shall, as soon as may be after the commencement of the Act constitute a body to be called as the Jharkhand State Commission for the Scheduled Castes to exercise the powers and perform the functions assigned to it by or under this Act with its head quarter at Ranchi.
 - (2) The commission shall consist of the following members, namely:-
- (a) the chairman, who has special knowledge in matter relating to the Scheduled Castes, shall be nominated by the State Government;
- (b) the vice Chairman, who has special knowledge in matter relating to the Scheduled Castes, shall be nominated by the State Government;

झारखण्ड गजट (असाधारण) श्क्रवार, 6 अप्रैल, 2018

- (c) three persons, who have special knowledge in matters relating to the Scheduled Castes, shall be nominated by the State Government;
- **4.** Term of Office and Conditions of service of the Chairman, Vice Chairman and Members.- (1) Subject to the pleasure of the State Government, the Chairman, Vice Chairman and every member shall hold office for a term not exceeding three years as may be specified by the State Government.
- (2) The Chairman/Vice chairman or a Member of the Commission may, at any time by writing under his hand addressed, to the State Government, resign his office.
- (3) The State Government shall remove a person from the office of the Chairman or Vice Chairman or a member, if that person,-
 - (a) becomes an undischarged insolvent; or
- (b) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
 - (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - (d) refuses to Ordinance or becomes incapable of acting; or
- (e) without obtaining leave of absence from the commission, absents himself/herself from three consecutive meetings of the Commission; or
- (f) has in the opinion of the State Government so abused the position of Chairman or Vice Chairman or Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interest of the Scheduled Caste:

Provided that no person shall be removed under this clause unless that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

- (4) A vacancy caused under sub-section(2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.
- (5) The fixed amount/lumpsum amount and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairman, Vice Chairman and allowance payable to the Members shall be such, as may be prescribed.
- **(5) Staff of the Commission.- (1)** Any Officer not below the rank of Deputy Secretary nominated by the Government shall be the ex-officio Member-Secretary of the Commission.
- (2) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be required for the proper functioning of the Commission.
- (3) The Administrative expenses of the commission including the fixed amount/lumpsum amount and allowances payable to the Chairman/Vice Chairman or Members and salary and allowances payable to the Officers and employees of the Commission shall be paid out of the grants referred to in Section 11.
- **6. Vacancies etc., not to invalidate proceedings of the Commission.**-No Act or proceedings of the Commission shall be invalid merely on the ground of the existence of any

vacancy in the office of membership of the commission or defect in the Constitution of the Commission.

- **7. Procedure to be regulated by the Commission.**-(1) The Commission shall meet as and when necessary, ordinarily at Ranchi and at such places as the Chairman may think fit.
 - (2) The Commission shall have power to regulate its own procedure.
- (3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member Secretary or any other officer of the Commission duly authorised by the Member Secretary in this behalf.

CHAPTER-III

FUNCTIONS AND POWERS OF THE COMMISSION

- **8. Functions of the Commission.** The functions of the commission shall be as follows,-
- (a) to investigate and examine the working of various safeguards provided in the Constitution of India or under any other law for the time being in force or under any order of the Government for the welfare and protection of the Scheduled Castes of Jharkhand and;
- (b) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguard of the Scheduled Caste of Jharkhand and to take up such matter with the appropriate authorities;
- (c) to advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes to evaluate the progress of their development in the State.
- (d) to make recommendations as to the measures that should be taken by the State for the effective implementation of safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Scheduled Castes and to make report to the State Government annually and at such other time as the Commission may deem fit.
- (e) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare, development and advancement of the Scheduled Castes as may be prescribed:

Provided that if any matter specified in this section is dealt with by the National Commission for Scheduled Castes established under Article 338 of the Constitution of India the State Commission for Scheduled Caste shall cease to have jurisdiction on such matter.

- (f) The State government may issue such directions to the commission as may be considered necessary or proper for carrying out the purposes of the Ordinance and the commission shall be bound to comply with such directions.
- **9. Laying of Report.-** The State Government shall cause such reports referred to in clause (d) of Section 8 to be laid before the State Legislative Assembly explaining Action taken or proposed to be taken and the reasons, if any, for non-acceptance of the recommendations.

झारखण्ड गजट (असाधारण) श्क्रवार, 6 अप्रैल, 2018

- **10. Powers of Commission.-** The Commission shall, while inquiring into any matter under section 8, have the same powers as vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure 1908, in respect of the following matters, namely:-
- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of the State and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of any document;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
 - (e) issuing Commissions for the examination of witnesses and documents; and
 - (f) any other matter which may be prescribed.

Provided that no person who is holding the office of the Chief Secretary, Principal Secretary or Secretary to the State Government or is Head of the Department employed in connection with the affairs of the State Government shall be summoned or required to attend in person under clause (a) but he shall be deemed to have complied with the summons if he causes a person not below the rank of Deputy Secretary or, as the case may be, a person holding a post equivalent thereto to attend the Commission in compliance with the summons instead of attending in person:

Provided further that the summons issued under clause (a) shall clearly indicate the purpose for which the person concerned has been summoned and when any person is summoned to produce a document without being summoned to give evidence, he shall be deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same.

CHAPTER - IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

- **11. Grants by the State Government.-**(1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of moneys as the State Government may think fit, for being utilised for the purpose of this Act.
- (2) The Commission may spend such sums out of the grants as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section(1).
- **12. Accounts and Audit.-**(1) Accounts of income and expenditure of the Commission shall be kept in accordance with such rules, as may be prescribed.
- (2) The Commission shall prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.

- (3) The accounts of the Commission shall be audited annually by such Auditor as the State Government may appoint.
- (4) The Auditor shall, for the purpose of audit, have access to all the accounts and other records of the Commission.
- (5) The Commission shall pay from its grant such charges for the audit, as may be prescribed.
- (6) As soon as may be after the receipt of the report of the Auditor, the Commission shall send a copy of the annual statement of accounts together with a copy of the report of the Auditor to the State Government and shall cause to be published the annual statement of accounts in such manner, as may be prescribed.
- (7) The State Government shall cause the report to be laid, as soon as may be after it is received, before the House of the State Legislative Assembly.
- (8) The State Government may, after persual of the report of the auditor give such directions, as it thinks fit to the Commission and the Commission shall comply with such directions.

CHAPTER - V

MISCELLANEOUS

- **13.** Chairman, Vice Chairman, Members and employees of the Commission to be **public servants.-** The Chairman, Vice Chairman, Members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860)
- **14. Power to make rules.-**(1) The State Government may after previous publication by notification in the official Gazette make rules for the purposes of carrying out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
- (a) salary and allowances payable to, and other terms and conditions for service of the Chairman/Vice Chairman and allowances payable to Members under sub-section (5) of section 4;
- (b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under subsection(2) of section 12;
 - (c) any other matter which is required to be or may be prescribed.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before State Legislative Assembly while it is in session, for a total period of forteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions. If before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following the aforesaid House agree in making any modification in the rule or House agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

15. Power to remove difficulties.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.
- **16. Overriding effect of the Act:-** Not-withstanding any-thing contrary in any other law and Rules for the time being in force, any order, notification, circular, scheme, rule or resolution made or issued, the provisions of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being inforce any order, notification, circular, scheme, resolution made issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with this Act, shall continue to be inforce and shall be deemed to have been made issued or passed in this Act.

17. Repeal and Savings

- (I) All orders/Resolution/Circulars etc related to this, which are inconsistent with this Act, shall be deemed to have been repealed to that extent.
- (II) Any thing done or any Action taken under any order/resolution/circular before the commencement of this Act shall be deemed to be done or taken under this Act as if it were applicable under this Act.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से.

प्रवास कुमार सिंह, प्रधान सचिव-सह-विधि परामशीं विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
